# लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

## दिनांक 10 अगस्त, 2018 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही

### उपस्थिति

| | | |
|---|---|---|
| 1. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति | – | अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, प्रति कुलपति | – | सदस्य |
| 3. प्रो0 पी0सी0 मिश्रा, अधिष्ठाता, कला संकाय | – | सदस्य |
| 4. प्रो0 अमिता कन्नौजिया | – | सदस्य |
| 5. प्रो0 दिनेश कुमार | – | सदस्य |
| 6. प्रो0 राम मिलन | – | सदस्य |
| 7. प्रो0 वी0के0 गोस्वामी | – | सदस्य |
| 8. प्रो0 एस0के0शुक्ला | – | सदस्य |
| 9. श्री संजय मेधावी | – | सदस्य |
| 10. डॉ0 रंगोली चन्द्रा | – | सदस्य |
| 11. डॉ ए0ए0 फारुकी | – | सदस्य |
| 12. श्री एस0के0शुक्ल,सचिव | – | सचिव |

बैठक में श्री एस0डी0 मौर्या, वित्त अधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय भी उपस्थित रहें।

बैठक आरम्भ करने से पूर्व कार्य परिषद अध्यक्ष मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये आकस्मिक बैठक आहूत किये जाने के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद के अनुरोध पर मा0 कुलपति जी ने कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की। तदोउपरान्त सचिव कार्य परिषद द्वारा बैठक में लिये गये बिन्दुओं का संक्षिप्त सारांश मा0 सदस्यों को बताया गया।

### बैठक की कार्यवाही 4/2018

**मद सं 01(अ) –** विशेष सचिव उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र सं0 573/सत्तर–1–2018–16(29)/2018 दिनांक 30.07.2018 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 14584–639 दिनांक 25.05.2015 से निर्धारित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क को समान रुप से सहयुक्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों हेतु अपने स्तर से लागू करते हुये शुल्क अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के तहत प्राख्यापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विशेष सचिव उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र सं0 573/सत्तर–1–2018–16(29)/2018 दिनांक 30.07.2018 के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय कैम्पस में उपलब्ध स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क, जो विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 14584–639 दिनांक 25.05.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा लागू किया गया हैं, को समान रुप से सहयुक्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के



Scanned by CamScanner

पाठ्यक्रमों हेतु लागू करते हुये शुल्क अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(3)(C) के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

(ब) — लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त संकायों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नवप्रवेशित विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 जी0ए014994–15010 दिनांक 27.06.2018, से निर्धारित करते हुये शुल्क अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के तहत प्राख्यापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**परिषद ने कार्यालय आदेश सं0 जी0ए014994–15010 दिनांक 27.06.2018, (प्रति संलग्न) से विश्वविद्यालय कैम्पस के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के लिये शुल्क अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(3)(C) के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।**

(स) — परिषद द्वारा महामहिम राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 ई0–885/जी0एस0 दिनांक 01.02.2018 के क्रम में सत्र 2018–19 का लखनऊ विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दिनांक 09.10.2018 को आयोजित होना सुनिश्चित हैं, तद्क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के 61वें दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि को नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में अग्रेत्तर यथोचित कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति/कार्यपरिषद, अध्यक्ष को अधिकृत करने का निर्णय लिया।**

बैठक के अन्त में कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा सभापति सहित बैठक में प्रतिभागी सभी सदस्यों का आभार/धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

एस0के0शुक्ल
कुलसचिव/सचिव

प्रो0 एस0पी0सिंह
कुलपति/अध्यक्ष



Scanned by CamScanner